जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति/जनजाति, बच्चे, स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम), औरंगाबाद (बिहार)।

नियमित जमानत आवेदन संख्या–164/2026

फेसर काण्ड संख्या–35/2025

12.02.2026 प्रस्तुत आत्मसमर्पण–सह–जमानत आवेदन आवेदकगण/अभियुक्तगण 1. यदु सिंह एवं 2. जयप्रकाश कुमार की ओर से दिनांक–06.02.2026 को दाखिल किया गया है, जिसके उपरांत अभियुक्तगण आज न्यायालय के समक्ष उपस्थित है। जमानत आवेदन की प्रति विद्वान विशेष लोक अभियोजक को दी गई है। सूचिका अनुपस्थित है।

पुकार पर बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर उपरोक्त जमानत आवेदन के आलोक में निवेदन करते है कि आवेदकगण निर्दोष है। आवेदकगण की ओर से इस जमानत आवेदन के अलावा श्रीमान् के न्यायालय में या किसी अन्य न्यायालय में जमानत आवेदन दाखिल नहीं है और न ही लंबित है। अभियुक्तगण का अपराधिक इतिहास नहीं है तथा न ही उनके विरूद्ध कोई विशिष्ट आरोप है। आवेदकगण पुलिस जमानत पर है। अतः आवेदकगण/अभियुक्तगण को किसी भी राशि के बंधपत्र पर जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाय।

राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया और कहा गया कि अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप गंभीर प्रकृति का है।

उभय पक्ष को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे विदित होता है कि उक्त जमानत आवेदन, फेसर काण्ड संख्या–35/2025 अंतर्गत धारा 126(2), 115(2), 291, 351(2), 352, 3(5) भारतीय न्याय संहिता, धारा 3(i)(r)(s)(w)/3(2)(va) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम एवं धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत अनुसंधानक के द्वारा समर्पित किया गया है, से संबंधित है। अभियुक्तगण के विरूद्ध सूचिका एवं अन्य को जाति सूचक गाली देते हुए, मारपीट करने का आरोप है। सूचिका को विशेष लोक अभियोजक के द्वारा नोटिस निर्गत किया गया है लेकिन न तो स्वयं सूचिका एवं न ही उनके विद्वान अधिवक्ता आज सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए है। अभियुक्तगण को धारा 35(3) बीएनएसएस के तहत नोटिस तामिला के उपरांत अभियुक्तगण पुलिस के समक्ष उपस्थित हुए है लेकिन पुलिस के द्वारा उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है बल्कि पुछताछ कर छोड़ दिया गया है, जिसका जिक्र कांड दैनिकी में वर्णित है, इससे यह परिलक्षित होता है कि अभियुक्तगण के द्वारा अनुसंधान में सहयोग किया गया है। मारपीट में हथियारों का प्रयोग नहीं किया गया है। उक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई विशिष्ट आरोप नहीं है। दस वाद में अभी संज्ञान नहीं लिया गया है।

अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से दाखिल आत्मसमपर्ण–सह–जमानत आवेदन को एक माह के लिए औपबंधिक रूप से स्वीकृत किया जाता है। अतएव उपरोक्त अभियुक्तगण 1. यदु सिंह एवं 2. जयप्रकाश कुमार को मो0–10000X2 (दस हजार) रूपये प्रत्येक का बंधपत्र व इतनी ही राशि के दो प्रतिभू द्वारा बंधपत्र दाखिल करने पर इस शर्त के साथ दिनांक–12.03.2026 तक औपबंधिक जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है कि अभियुक्तगण साक्ष्य व साक्षी को प्रभावित नहीं करेंगें, वाद के विचारण एवं निष्पादन में पूर्णतः सहयोग करेंगे, प्राप्त जमानत का दुरूपयोग नहीं करेंगे तथा प्रति अभियुक्त आर्थिक दण्ड स्वरूप मो0–500/–रूपये यानी कुल राशि मो0–1000/–रूपये जमा करेंगे।

लेखापित

(विश्व विभूति गुप्ता),
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम–सह–विशेष
न्यायाधीश (अनुसूचित जाति/जनजाति, बच्चे, स्वापक
औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम), औरंगाबाद (बिहार)।